बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

संख्या–पर्या०/वन–42/2002 329(ई) /प०व० पटना–15, दिनांक–08/07/2015

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 (Bio-Medical Waste (Management and Handling Rules, 1998) की धारा–8 की उप धारा–(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, बिहार सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के परामर्श से, प्राधिकार (Authorisation) पत्र निर्गत करने हेतु विभागीय अधिसूचना एस०ओ० संख्या–वन/पर्या०(1)–09/1999 (खण्ड–1) 19 (ई०) प०व०, पटना, दिनांक–18.01.2001 द्वारा अधिसूचित शुल्क को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

क्र०	अस्पताल में बिस्तरों की संख्या	मरीजों की संख्या उपचारित प्रतिमाह/क्लिनिक, डिस्पेन्सरी/पैथलॉजिकल प्रयोगशाला/ब्लड बैंक आदि	अन्य यूनिट	संशोधित शुल्क तीन वर्षों के लिए (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	500 से अधिक	–	–	25000
2	200–499	10,000 एवं अधिक	–	15000
3	50–199	7500–9999	–	10000
4	25–49	5000–7499	–	7500
5	5–24	2500–4999	–	5000
6	00–04	1000–2499	पशुगृह (एनिमल हाउस) एवं वेटिनरी संस्था	2500

2. यदि प्रश्नगत संस्थान में कॉलम (2) (3) एवं (4) में वर्णित एक से अधिक सुविधायें उपलब्ध हो, तो शुल्क की राशि कॉलम (2) (3) एवं (4) में वर्णित राशि से उच्च (Higher) होगी।

...2

3. सभी संस्थानों को, जो जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) का जनन (Generation), संग्रहण (Collection), भंडारण (Storage), परिवहन (Transportation), उपचार (Treatment), व्ययन (Dispose) और या हस्तन (Handle) करते हों, को विहित प्राधिकारी (Prescribed-Authority) से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। बिहार राज्य में विहित प्राधिकारी, ''बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद'' है। प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त वर्णित शुल्क के साथ आवेदक को विहित प्रपत्र में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को आवेदन समर्पित करना होगा।

4. यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

5. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–255 (ई०) दिनांक–27.05.2015 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/वन–42/2002 /प०व० पटना–15, दिनांक–....../07/2015

प्रतिलिपि :– ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी एक हजार प्रतियाँ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाय।

ह०/–
(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/वन–42/2002 329(ई) /प०व० पटना–15, दिनांक–08/07/2015

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

पर्या०/वन–42/2002 नीरज